258

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 7 अगस्त, 1996 (श्रावण 16, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1- प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे,

2- अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (क्रमांक 1 सन् 1996), तथा

(2) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (क्रमांक 2 सन् 1996).

3- पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जसवन्त सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-16-95-वि.क.-पांच (12), दिनांक 27 मार्च, 1996 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चरणदास महन्त, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रताप सिंह बघेल, परिवहन मंत्री, रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1993-94 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन,

(क) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-19-49-96-बारह-2, दिनांक 22 जून, 1996, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3)(ख) की अपेक्षानुसार "दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड," भोपाल का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

4- <u>फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.</u>

5- <u>नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.</u>

6- <u>प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.</u>

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि —

"सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

7- <u>राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.</u>

8- <u>नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.</u>

(1) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले में किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य, दुर्ग जिले के अंजोरा तथा चंगोरी उद्वहन सिंचाई योजनाओं से किसानों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9- <u>सभापति तालिका की घोषणा.</u>

10- <u>वक्तव्य</u>

(1) श्री चनेश राम राठिया, राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व दिनांक 15 फरवरी, 1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 1353) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, दिनांक 15 मार्च, 1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 89 (क्र. 4611) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.